प्रेस नोट **16/03/2024**

<u>03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 01 अदद तमन्चा, 02 कारतूस,01 चाकू, 02 फाइटर पंच तथा 04 अदद मोबाइल बरामद-</u>

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिंनाक 15.03.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर ढेकुलियाघाट के पास से मु0अ0सं0 78/24, 80/24, 81/24 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम व धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम तथा धारा 379 भादवि में वांछित अभियुक्तगण आशुतोष उर्फ अंशू राव पुत्र ज्ञानचन्द्र निवासी निजामुद्दीनपुरा थाना कोतवाली नगर, रितिक राजभर पुत्र मारकण्डेय राजभर निवासी मुझडाड़ थाना घोसी, अभिषेक यादव उर्फ कल्लू पुत्र सुदर्शन यादव निवासी बहरीपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ के कब्जे से 01 अदद तमन्चा, 02 अदद कारतूस 12 बोर, 01 अदद चाकू व 02 अदद फाइटर पंच तथा 04 अदद चोरी का मोबाइल(03 विवो, 01 सैमसंग) बरामद किया गया जो थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 78/24 धारा 379 भादवि0 से सम्बन्धित पाया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियोग में धारा 411,413,414 भादवि की बढोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया।

बरामदगी-

01. 01 अदद तमन्चा 12 बोर
02. 02 अदद कारतूस 12 बोर
03. 01 अदद चाकू
04. 02 फाइटर पंच
05. 04 अदद चोरी की मोबाइल(03 विवो, 01 सैमसंग)

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. आशुतोष उर्फ अंशू राव पुत्र ज्ञानचन्द्र निवासी निजामुद्दीनपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
02. रितिक राजभर पुत्र मारकण्डेय राजभर निवासी मुझडाड़ थाना घोसी जनपद मऊ।
03. अभिषेक यादव उर्फ कल्लू पुत्र सुदर्शन यादव निवासी बहरीपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ।

<u>ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 02 दोषसिद्ध अभियुक्त को 03-03 वर्ष की साधारण कारावास व ₹5,000-5,000 के अर्थदंड से हुये दंडित-</u>

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश-प्रथम जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 16-03-2024 को, मु0अ0सं0 361/14 धारा 307,149 भादवि थाना कोतवाली में दोषसिद्ध अभियुक्तगण बेचू यादव पुत्र स्व0 सुदर्शन यादव तथा रामाश्रय यादव पुत्र रघुनाथ यादव निवासीगण भीटी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03-03 वर्ष की साधारण कारावास की सजा एवं ₹5,000-5,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी आशीष कुमार थाना कोतवाली का सराहनीय योगदान रहा।

आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2024 के दृष्टिगत जनपद में शांति/सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने को लेकर आज दिनांक 16-03-2024 सायंकाल पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में भारी संख्या में अर्द्धसैनिक बल एवं जनपदीय पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत कस्बे/बाजार, भीड़भाड़ व संवेदनषी/मिश्रित आबादी वाले स्थानों पर रूट मार्च/पैदल गस्त किया गया एवं सड़क के किनारे अतिक्रमण के सम्बन्ध में सर्व सम्बन्धित को आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये। साथ ही साथ पूरे जनपद में समस्त क्षेत्राधिकारियों/थाना प्रभारियों के नेतृत्व में अर्द्धसैनिक बलों व जनपदीय पुलिस बल के साथ एरिया डॉमिनेशन/पैदल गस्त कर शांति/सुरक्षा व्यवस्था के प्रति आश्वस्त तथा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

आज दिनांक 16.03.2024 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा थाना सरायलखन्सी का औचक निरीक्षण किया गया जिसमें थाना कार्यालय के अपराध रजिस्टर आर्डर बुक(न्यायालय) भूमि विवाद रजिस्टर त्यौहार रजिस्टर जनसुनवाई रजिस्टर सीसीटीएनएस शाखा महिला हेल्प डेस्क मालखाना बंदीगृह बैरिक आदि का निरीक्षण कर अभिलेखों को ससमय अभिलेखित करने हेतु निर्देशित किया गया व गैंगेस्टर गुंडा एक्ट एचएस में त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। महिला हेल्प डेस्क पर नियुक्त महिला आरक्षी से प्रार्थना पत्रों को गम्भीरतपूर्वक सुनने तथा निस्तारण के बाद नियमित फीडबैक लेने हेतु निर्देश दिए गए एवं उपस्थित प्रत्येक कर्मचारीगणों से बीट बुक इत्यादि को चेक किया गया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। साथ ही साथ थाना परिसर में भ्रमण कर साफ-सफाई इत्यादि का निरीक्षण किया गया तथा साफ सफाई उच्च स्तर का बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक सरायलखन्सी सहित भारी संख्या में पुलिस कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में शांति/सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने को लेकर आज दिनांक 16.03.2024 सायंकाल पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा भारी संख्या में जनपदीय पुलिस बल के साथ थाना सरायलखन्सी क्षेत्रान्तर्गत कस्बे/बाजार व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर रूट मार्च/पैदल गस्त किया गया। इस दौरान जगह-जगह पर सुरक्षा व्यवस्था तथा आदर्श आचार संहिता के अनुपालन का जायजा लिया गया साथ ही साथ सड़क के किनारे अतिक्रमण के सम्बन्ध में सर्व सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। इस दौरान प्रभारी थाना सरायलखन्सी व कोतवाली पुलिस बल के साथ उपस्थित रहे।